

बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग

आ दे श

पटना, दिनांक

संख्या ०५/१०६-१६१/२०१६ प्रायः ऐसा पाया जाता है कि किसी पदाधिकारी के अवकाश में रहने एवं उनके प्रतिस्थानी की व्यवस्था नहीं रहने के कारण कार्य पूर्णतः बाधित हो जाता है। कार्यहित में यह आवश्यक है कि ऐसी व्यवस्था की जाय कि अवकाश में जानेवाले पदाधिकारी के प्रतिस्थानी के रूप किसी पदाधिकारी को नामित किया जाय।

अतएव निदेशानुसार निम्नलिखित पदाधिकारी के अवकाश अवधि में उनके नाम के सामने अंकित पदाधिकारी परस्पर एक-दूसरे के दैनिक कार्यों के प्रभार में रहेंगे -

क्र.सं.	पदाधिकारी का पदनाम	प्रतिस्थानी का पदनाम
1.	सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना	श्री के० सेंथिल कुमार, अपर सचिव, शिक्षा विभाग
2.	निदेशक, प्राथमिक शिक्षा	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
3.	निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी०, पटना	संयुक्त निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी०, पटना
4.	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि०	वरीयतम महाप्रबंधक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि०
5.	निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव	उप निदेशक, प्रशासन
6.	निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण	वरीयतम उप निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण
7.	निदेशक, उच्च शिक्षा	वरीयतम उप निदेशक, उच्च शिक्षा
8.	निदेशक, जन शिक्षा	वरीय उप/सहायक निदेशक, जन शिक्षा
9.	श्री भरत राम, उप सचिव	श्री उपेन्द्र नारायण महतो, उप सचिव

2. सभी निदेशक/प्रबंध निदेशक अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के अवकाश अवधि के लिए प्रतिस्थानी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
3. प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह०/-

(सुशील कुमार)

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।

प्रशास- 2030

दिनांक- 09/12/16

प्रतिलिपि - शिक्षा विभाग के सभी निदेशक/प्रबंध निदेशक एवं विभाग के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(सुशील कुमार)

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।

५